न्यायालय– अवर न्यायाधीश, षष्ठम्, पटना सिटी

स्वत्व वाद सं0–138/09
सी.आई.एस. 138/09

05/04/2023 प्रस्तुत अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। वादी तथा प्रतिवादी की ओर से हाजिरी दी गई। वादी की ओर से आवेदन दिनांक–09.05.2019 अंतर्गत धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता दाखिल किया गया तथा आवेदन को संचालित करते हुए अभिकथन करते हैं कि वादी ने यह वाद अनुसूची–1 में वर्णित वादग्रस्त सम्पत्ति पर अपने स्वामित्व एवं दखल–कब्जे के उद्घोषणा के लिए लाया है, जो दो भाईयों– द्वारिका महतो व लक्ष्मण महतो के खानगी बटवारे के अंतर्गत वादी के हिस्से में आवंटित किया गया है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बीच आगे भी बटवारा जून 1986 में हुआ था और वादपत्र के अनुसूची–1 की सम्पत्ति खानगी बटवारे के माध्यम से वादीगण को आवंटित की गई थी और वे वास्तविक रूप से उसके भौतिक दखल–कब्जे में चले आ रहे हैं। प्रतिवादीगण जिन्होंने अपना लिखित कथन दाखिल किया है, इस तथ्य को स्वीकार किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बीच बटवारा हुआ था तथा वादीगण के आधे हिस्से तथा प्रतिवादीगण के आधे हिस्से का अलग–अलग म्यूटेशन हुआ था। प्रतिवादीगण वादपत्र के अनुसूची–1 के सम्पत्ति जो कि वादीगण को आवंटित हुआ था, के भौतिक गुणों को परिवर्तित करने के लिए आतुर हैं और इसलिए एक निषेधाज्ञा आवेदन वादी द्वारा दिनांक–08.06.2009 को दाखिल किया गया था और प्रतिवादीगण ने दिनांक–02.12.2009 को उसका प्रत्युत्तर दाखिल किया था। पक्षकारों को सुनने एवं अभिलेख के अवलोकन के पश्चात् विद्वान न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि वादपत्र के अनुसूची–1 की सम्पत्ति वादीगण को अनुमत है तथा वादपत्र के अनुसूची–2 में वर्णित सम्पत्ति प्रतिवादीगण की है और वादीगण का वाद प्रथम दृष्टया है तथा एडमिशन की दृष्टि से वादी के पक्ष में ही सुविधा का संतुलन भी है, परंतु दखल को लेकर विवाद है, लेकिन पक्षकारों को वादग्रस्त सम्पत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश देने के बजाए विद्वान न्यायालय ने वादीगण तथा प्रतिवादीगण को यह निर्देश दिया कि अनुसूची–1 की सम्पत्ति पर यथास्थिति बनाए रखें जबकि, प्रतिवादीगण को अनुसूची–2 की सम्पत्ति से कोई वास्ता नहीं है और इसलिए भूल–चूक से कुछ स्वीकार किए गए तथ्य ओवरलुक हो गए जो वादीगण के हित में प्रीज्यूडिस है जो वादीगण के लिए कष्टकारी है और वादपत्र के अनुसूची–1 के अपने ही हिस्से से अवरुद्ध हो गए हैं। अत : आदेश दिनांक–03.06.2017 जिसके द्वारा वादीगण को अनुसूची–1 की सम्पत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया है, को सुधार करने की कृपा की जाय।

प्रतिवादी सं0–1 से 4, प्रत्युत्तर के माध्यम से अभिकथन करते हैं कि वादी के आवेदन दिनांक–09.05.19 के पारा–1 ता 5 में कही गई बातें सत्य नहीं है। वादी का यह कहना कि शेड्यूल–1 वादी का है तथा शेड्यूल–2 प्रतिवादी का है, सही नहीं है। प्रतिवादी ने अपने ब्यान तहरीर में ऐसी बात नहीं कही है क्योंकि प्रतिवादी सं0–1 का हिस्सा शेड्यूल–1 में भी है। निषेधाज्ञा का आवेदन वादपत्र के

शेड्यूल–1 के संबंध में वादी ने माननीय न्यायालय में 05.06.2009 को दिया था, जिसपर आवेदन के सुनवाई तक यथास्थिति का आदेश हुआ था। जिसकी सुनवाई 03.06.2017 को हुई तथा वादी का आवेदन स्वीकृत किया गया। वादी का यह कहना कि चूक से कुछ स्वीकार किए गए तथ्य ओवरलुक हो गए जो वादीगण के हित में प्रीज्यूडिस है, गलत है। माननीय न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायसंगत आदेश पारित किया गया है, आदेश में त्रुटि नहीं है। वादी अगर उक्त आदेश दिनांक–03.06.2017 से सहमत नहीं है तो वादी को उपर के न्यायालय में जाना चाहिए था। आदेश दिनांक–03.06.2017 संशोधन होने के लायक नहीं है। अत' श्रीमान् से प्रार्थना है कि उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वादी के आवेदन दिनांक–09.05.2019 को खारिज करने का आदेश प्रदान करें।

उभयपक्ष को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन एवं परिशीलन से ज्ञात होता है कि प्रस्तुत अधिकार वाद में पूर्व के आदेश दिनांक–03.06.2017 के आलोक में यह तथ्य ज्ञात होता है कि वादी के द्वारा निषेधाज्ञा आवेदन दाखिल किया गया था, जिसका प्रतिवादीगण के द्वारा कारण–पृच्छा दाखिल किया गया। जिसपर उभयपक्ष को सुनकर न्यायालय द्वारा आदेश पारित करते हुए निर्देशित किया गया कि दोनों पक्ष प्रस्तुत अधिकार वाद के वादग्रस्त सम्पत्ति के अनुसूची–1 में वर्णित सम्पत्ति पर वाद लम्बित रहने के दौरान यथास्थिति बनाए रखें, जबकि आदेश दिनांक–03.06.2017 के प्रथम पारा में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि अनुसूची–1 में वर्णित सम्पत्ति वादीपक्ष की है। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार वर्तमान में प्रतिवादी पक्ष, वादी पक्ष को वादग्रस्त सम्पत्ति से बेदखल करना चाहते थे तथा उनके द्वारा बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा था। वही तथ्य न्यायालय द्वारा अपने उस आदेश के मंतव्य में भी दृष्टिगत किया है। साथ–ही न्यायालय को यह भी ज्ञात होता है कि यह आदेश दिनांक–03.06.2017 को न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, जबकि प्रार्थी के द्वारा दिनांक–09.05.2019 को दाखिल किया गया है, जो कि लगभग 2 वर्ष पश्चात् दाखिल किया गया है। साथ–ही यह भी ज्ञात होता है कि प्रस्तुत आदेश दिनांक–03.06.2017 में वादग्रस्त सम्पत्ति अनुसूची–1 में वर्णित सम्पत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने का दोनों पक्षों को निर्देश दिया गया है, वह कोई लिपिकीय भूल नहीं है। उक्त आदेश गुण–दोष के आधार पर पारित किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी का आवेदन पोषणीय होना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में प्रार्थी का आवेदन गुण–दोष के आधार पर खारिज किया जाता है। वाद वास्ते दिनांक–10.05.2023 अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु।

लेखापित

05-04-23

अवर न्यायाधीश, षष्ठम्
पटना सिटी